भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2843

जिसका उत्तर 15 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है।

24 अग्रहायण, 1943 (शक)

इंटरनेट गवर्नेंस फोरम

2843. श्री राजबहादुर सिंह :
श्री रोड़मल नागर :
श्री पी.पी. चौधरी :
श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी :
डॉ. कृष्णपालसिंह यादव :
श्री संगम लाल गुप्ता :
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी :
श्री मनोज तिवारी :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत का स्वयं का इंटरनेट गवर्नेंस फोरम होने के लक्ष्य, उद्देश्य और महत्व क्या हैं;

(ख) क्या सरकार की बच्चों की इंटरनेट तक पहुंच को विनियमित करने की योजना है क्योंकि अल्पव्यस्कों से संबंधित समझौता अधिकांश वेबसाइटों के मामले में अकृत और शून्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार भारतीय स्वदेशी एप के लिए एक समान प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए कदम उठा रही है और यदि हां, तो इसमें दी गई उपयुक्त नीतिगत सहायता क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क): भारतीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईआईजीएफ) का लक्ष्य और उद्देश्य भारत के बड़े विविध समुदायों को एक मंच पर लाना है, इंटरनेट गवर्नेंस के मामले में समुदाय की आवाज और राय को प्रस्तुत करना, तालमेल बनाना और इंटरनेट सार्वजनिक नीति की समझ को बढ़ाना है। भारतीय परिदृश्य में इसके प्रभाव, इंटरनेट गवर्नेंस पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर बहु-हितधारकवाद का संबर्धन करना है। आईआईजीएफ संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के तत्वावधान में आयोजित किया जाता है।

भारतीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का महत्व यह है कि यह भारतीय नागरिकों, हितधारकों और नीति निर्माताओं को विभिन्न मुद्दों और चिंताओं पर होने वाला विचार विमर्श में शामिल करने का अवसर देता है, जो इसे खुला, सुरक्षित और भरोसेमंद और जवाबदेह रखते हुए इंटरनेट के गुणकारी विकास से सम्बद्ध हैं।

(ख): बच्चों के लिए इंटरनेट के अभिगम को विनियमित करने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, सरकार ने साइबर स्पेस को बच्चों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:

(i) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 67ख बाल यौन शोषण संबंधी सूचना सामग्री को ऑनलाइन प्रकाशित, प्रसारित या प्रदर्शित करने पर कठोर सजा का प्रावधान करती है।

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 मध्यस्थों के उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उनकी सुरक्षा के लिए जवाबदेह बनाती है। नियमावलियों में मध्यस्थों को शिकायतों के समयबद्ध निपटान सहित एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र को अपनाना अपेक्षित है। माध्यस्थों को स्वंय से संबंधित निबंधन से अवगत कराना अपेक्षित और शर्तों से अवगत कराना अपेक्षित है जिसमें उपयोगकर्ताओं को किसी भी सूचना सामग्री को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, अपडेट या साझा न करने के लिए सूचित किया जाना चाहिए जो अन्य बातों के साथ-साथ नाबालिग हेतु गंभीर रूप से हानिकारक, अपमानजनक, अश्लील, अन्यों की निजता हेतु हानिकारक, नाबालिग हेतु किसी भी तरह से नुकसानदायक या अन्यथा गैरकानूनी हैं। माध्यस्थों से यह भी अपेक्षित है कि वे किसी न्यायालय के आदेश या समुचित सरकार या इसकी अधिकृत एजेंसी के नोटिस के द्वारा संज्ञान में जाए जाने पर भारत में किसी गैर कानूनी सूचना सामग्री को हटाएगें। बाल यौन शोषण सूचना सामग्री की सक्रिय रूप से पहचान करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्रतिउपायों को लागू करने का प्रयास करने के लिए नियमावलियों में महत्वपूर्ण सोशल मीडिया माध्यस्थ (एसएसएमआई) की भी अपेक्षित है।

(iii) सरकार आवधिक रूप से भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के माध्यम से प्राप्त इंटरपोल की "वर्स्ट ऑफ लिस्ट" के आधार पर बाल यौन शोषण संबंधी सूचना सामग्री (सीएसएएम) वाली वेबसाइटों को अवरुद्ध करती है।

(iv) सरकार ने संबंधित इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (आईडब्ल्यूएफ), यूके या प्रोजेक्ट अरचिन्ड, कनाडा की सीएसएएम वेबसाइटों/वेबपेजों की सूची को सक्रिय आधार पर लागू करने और ऐसी बाल पोर्नोग्राफी वेबपेजों/वेबसाइटों तक अभिगम को अवरूद्ध करने का आदेश जारी किया है।

(v) सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) नामक एक कार्यक्रम के माध्यम से एमईआईटीवाई द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करते समय डिजिटल सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महिलाओं और बच्चों सहित उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा की जा रही है। सूचकना सुरक्षा जागरूकता के लिए एक समर्पित वेबसाइट (https://www.infosecawareness.in) प्रासंगिक जागरूकता सूचना सामग्री उपलब्ध करती है।

(ग): सरकार ने आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत मोबाइल सेवा ऐपस्टोर नाम से एक स्वदेशी ऐप स्टोर शुरू किया है, जो भारतीय ऐप्स को होस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। यह देश के सभी सरकारी विभागों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय, ऑनलाइन भुगतान, चुनावी सेवाओं, सामाजिक कल्याण, भोजन, परिवहन, ऊर्जा, आदि से संबंधित नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने मोबाइल एप्लिकेशन को होस्ट करने हेतु सक्षम बनाता है। देश भर में सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा 1030 से अधिक ऐप अपलोड किए गए हैं। दोनों, संगठनात्मक और व्यक्तिगत डेवलपर्स स्वंय को पंजीकृत कर सकते हैं और ऐप अपलोड कर सकते हैं। केवल सत्यापित और हस्ताक्षरित एंड्राएड एप्लिकेशन पैकेज (एपीके) फ़ाइलें ही ऐपस्टोर पर अपलोड की जा सकती हैं। ऐप्स को अपलोड और डाउनलोड करना नि:शुल्क है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से "नेशनल ई गॉव ऐपस्टोर" नामक परियोजना को लागू किया है जो कि सरकारी वेब आधारित अनुप्रयोगों और घटकों को होस्ट करने के लिए एक मंच है जिसे अन्य केंद्र / राज्य विभागों द्वारा इसी तरह के अनुप्रयोगों के विकास से संबंधित लागत और प्रयास के बिना पुन: उपयोग किया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर ई-खरीद, ई-ऑफिस, वाहन, ई-जेल, ई-ग्रंथालय भूमि रिकॉर्ड आदि जैसे लोकप्रिय समाधानों सहित कई एप्लिकेशन पहले ही होस्ट किए जा चुके हैं। प्लेटफॉर्म का विवरण https://apps.gov पर उपलब्ध है।

******